

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी खण्ड पन्ना (म0प्र0)
निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 27 / 13-14 दिनांक 10-9-2013

मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय की ओर से पन्ना जिले के विभिन्न विकासखंडों के ग्रामों के ऐसे हैण्डपंप जिनकी लाईन गिरी/फंसी है, उन नलकूपों (हैण्डपंपों) की लाईन निकालकर एवं हैण्डपंपों की स्थापना इत्यादि कार्य की निविदा दरें प्रपत्र 'बी' आईटम दर पर लोके निर्माण विभाग में पंजीकृत नवीन रजिस्ट्रेशन प्रणाली से उचित श्रेणी में सी एवं ऊपर फर्म/ठेकेदारों से दिनांक 24-09-2013 को अपराह्न 3 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी।

कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 23-09-2013 को कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


क्र0	ग्रुप	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमा. नित लागत रु0 लाखमें	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		पन्ना जिले के निम्नलिखित विकासखंडों के ग्रामों में स्थापित ऐसे हैण्डपंपों जिनकी लाईन गिरी/फंसी है उन हैण्डपंपों की लाईन एवं अन्य सामग्री को निकालना एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुनः स्थापित करने का कार्य।						
	पी-1	विकास खण्ड पन्ना	20	1.40	2800/-	1000/-	सी0 एवं उससे ऊपर	दो माह वर्षा काल छोड़कर
	ए-1	विकास खण्ड अजयगढ़	20	1.40	2800/-	1000/-	तदैव	-तदैव-
	जी-1	विकासखंड गुनौर	20	1.40	2800/-	1000/-	तदैव	-तदैव-
	डब्लू-1	विकासखंड पवई	20	1.40	2800/-	1000/-	तदैव	-तदैव-
	एस-1	विकासखंड शाहनगर	20	1.40	2800/-	1000/-	तदैव	-तदैव-

सामान्य शर्त :-

1. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने के पूर्व हैण्ड पम्पों की स्थिति जरूर देख ले, बाद में इसकी अनभिज्ञता होने के कारण कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे। आवश्यक मशीन धारकों को ही निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेगें।
2. स्केलेशन चार्जस किसी भी दशा में देय नहीं होगा। चाहे कार्य की समय अवधि किसी भी कारण से क्यों न बढ़ाई गई हो।
3. निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा और ऐसे लिफाफे निविदाकारों को यथा समय वापिस कर दिये जावेगें।
4. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर., एन.एस.सी. मान्य की जावेगी। बैंक गारंटी मान्य नहीं होगी।
5. तकनीकी एवं निविदा से संबंधित विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में देखी जा सकती है।

6. निविदाकारों की बैधता अवधि वित्तीय प्रस्ताव खोलने के दिनांक से 180 दिवस होगी ।
7. यह संक्षिप्त निविदा सूचना अनुबंध का एक भाग होगा ।
8. नलकूप की मात्रा घटाई, बढाई जा सकती है ।
9. नलकूप के बोर में निकाली सामग्री का लेखा-जोखा बतलाना होगा ।
10. निविदा प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ ठेकेदारों को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे :-

- (i) उचित श्रेणी में वैध पंजीयन की प्रति
 - (ii) पार्टनरशिप डीड की प्रति
 - (iii) टिन नम्बर की प्रति
 - (iv) पैन कार्ड की प्रति एवं आयकर चुकता प्रमाण पत्र
 - (v) हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र
11. मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 35 (1) के अनुसार सकर्म संविदा पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर की कटौती देयको से की जावेगी तथा प्रपत्र में 42 में प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा । निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर) अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
 12. कार्य, लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर दिया जावेगा ।
 13. शासन द्वारा निविदा स्वीकृति दिनांक तक कोई संशोधन लागू होता है तो मान्य करने की बाध्यता ठेकेदार की रहेगी ।
 14. कर्मकार उपकर अधिनियम के 1996 के अंतर्गत निविदाकार को इस विभाग द्वारा चिन्हांकित रजिस्ट्रीकरण कर्ता अधिकारी के यहां पंजीयन कराना आवश्यक है । पंजीयन न होने की दशा में अनुबंध के पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
 15. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल के निर्देशानुसार 1 प्रतिशत उपकर ठेकेदार के बिल से काटा जावेगा ।



कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)

पृ0क0 3204 ब0ले0लि0/का0यं0/लो0स्वा0यां0/खण्ड/13 पन्ना

दिनांक : 10.9.13

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर, सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/छतरपुर/टीकमगढ/दमोह/सागर
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग पन्ना
8. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पन्ना/पवई
9. एन.आई.सी. पन्ना
9. मेसर्स -----
10. नोटिस बोर्ड


कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)